"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2006—आषढ़ 16, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अनिमेष तिवारी आ. श्री उमेश तिवारी, उम्र 38 वर्ष, निवासी एम. आई. जी. 2/77 आमदी नगर, हुडको भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री जिसका बचपन का नाम कुमारी अनन्या तिवारी है तथा उसकी जन्म तिथि 26-9-2001 है, का नाम परिवर्तित कर कुमारी अपूर्वा तिवारी आत्मजा अनिमेष तिवारी रख लिया है तथा उसके संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया है.

अत: अब से मेरी पुत्री को कुमारी अपूर्वा तिवारी आत्मजा अनिमेष तिवारी के नाम से जाना व पहिचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कुमारी अनन्या तिवारी आत्मजा-अनिमेष तिवारी आमदी नगर, हुडको भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कुमारी अपूर्वा तिवारी आत्मजा-अनिमेष तिवारी आमदी नगर, हुडको भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 2 जून 2006

क्रमांक/परिस./2006/678.—छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिस./835/बिलासपुर, दिनांक 6-10-2003 के तहत श्री नर्मदा मोटर ट्रांसपोर्ट सहकारी समिति मर्या. पेन्ड्रा पंजीयन क्र. 2 दिनांक 4-11-59 विकास खण्ड पेन्ड्रा (गौरेला) जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री एम. पी. श्रीवास सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह - 1 सी दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्टित है का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था नियम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

सी. एल. ध्रुव,
उप-पंजीयक.

वन मण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मण्डल, दन्तेवाड़ा (छ. ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 16 जून 2006

क्रमांक/मा.चि./3105/2006.—वन परिक्षेत्र अधिकारी बचेली के पृ. पत्र क्रमांक/255 दिनांक 18-04-06 एवं पत्र क्रमांक/233 दिनांक 22-05-06 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नानुसार दर्शाये गये बीट हैमर जो परिसर रक्षक कोरीरास श्री लोकनाथ मौर्य को विभागीय कार्य हेतु प्रदाय किया गया था श्री लोकनाथ मौर्य परिसर रक्षक कोरीरास द्वारा गुमा दिया गया है. हैमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे.

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये गुमशुदा बीट हैमर आकृति को अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. हैमर की कीमत 608.00 (छह: सौ आठ रुपये) मात्र परिसर रक्षक श्री लोकनाथ मौर्य से वसूल करने का आदेश के साथ शासकीय कार्य में लापरवाही के लिये उन्हें चरित्रावली चेतावनी के साथ भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो वह हैमर निकटतम थाना या वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हैमर अनाधिकृत रूप से रखने या अवैध उपयोग में लाते हुये पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

एस. एम. टी. नकवी,
वन मण्डलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.